न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. मलकीत सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह जाति मेहरा निवासी 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थी-

बनाम

1. तरसेम सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति मेहरा निवासी 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।
2. सुरजीत सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह जाति मेहरा निवासी 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।
3. मनजीत कौर पुत्री तरसेम सिंह पत्नी जसवन्त सिंह जाति मेहरा निवासी 50 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।
4. रानी कुमारी पुत्री तरसेम सिंह पत्नी जसपाल सिंह जाति मेहरा निवासी वार्ड नं. 2 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

......अप्रार्थीगण.......

उपस्थिति - 1. श्री प्रेम सिंह सैनी, बक्शीश सिंह थिन्द वकील प्रार्थी
2. श्री वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 04/2018 **निर्णय दिनांक - 15/10/2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 13 बी.एल. एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 212/425 का किला नं. 2 ता 5, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 19/1 का 2.711 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को विरास्तन में प्रार्थी के दादा तेजा सिंह वल्द फकीर सिंह के देहान्त उपरान्त प्राप्त हुई है इसलिए उक्त सम्पति जद्दी जायदाद है एवं अप्रार्थी संख्या 1 की वंशावली में मैं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 उनके विधिक वारिसान है इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पति में मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है एवं मैं प्रार्थी उक्त अपने

लगातार........2

(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

हिस्सा की भूमि के लिए स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने एवं विधिक विभाजन करवाने व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु अनवानी वाद लाने का विधिक अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमि में मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के साथ संयुक्त रूप से काबिज चला आ रहा है एवं मैं प्रार्थी काफी अर्सा पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूँ मैनें उक्त भूमि में एक कमरा भी बना रखा है जहां पर रह कर प्रार्थी भूमि की देखरेख व काश्त आदि करता है व प्रार्थी ने उक्त भूमि को अपना मानते हुए इसमें अपनी अथाह धन व मेहनत खर्च कर इसे संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि में किये गये सुधारों की बदोलत भूमि की किस्म में सुधार हो गया है व भूमि की कीमतों में आशातीत वृद्धि हो चुकी है। जिसको देखकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के मन में लालच व बेईमानी आ गई है। जिसके वशीभूत होकर वे मुझ प्रार्थी को उक्त भूमि में मेरे हक व हिस्सा की भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन करना चाहते है। प्रार्थी द्वारा समय समय पर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलकर जद्दी जायदाद में मुझ प्रार्थी का 1/5 हिस्स को मुझ प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1ता 4 को विधिक विभाजन किला वाईज करके अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया जाता रहा है तो उनके द्वारा तो उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष बयान देकर पृथक पृथक भूमि दर्ज करवा देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है जिस पर प्रार्थी सद्भाविक विश्वास करता रहा। किन्तु आज से दो माह पूर्व गांव में राजस्व कैम्प का आयोजन होने पर जब पुनः इस बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने तबियत ठीक नहीं होने व अन्य पारिवारिक मजबूरिया बताकर उक्त कार्यवाही में सहयोग करने से इन्कार कर दिया व इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि को दलालों को साथ लाकर व अन्य व्यक्तियों को लाकर दिखाना प्रारम्भ कर दिया व बिकवाली प्रस्ताव के लिए लोगों को दिखाने लगा तब प्रार्थी को मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया व उन्हे पृथक-पृथक भूमि दर्ज करवाने व बिना विभाजन भूमि या उसके किसी भाग को बेचान नहीं करने बाबत कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अन्य अप्रार्थीगण के बहकाव एवं दबाव में आकर ऐलानिया धमकी दी कि वह उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उसे अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को उक्त भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन कर देगा। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपने हक वा हिस्सा की भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन होना पडेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थी का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ेगा, मुकदमा बाजी बढेगी, खर्च बढेगा जबकि अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। आदि का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक इस आश्य की चाही कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके चक 13 बी. एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 212/425 का किला नं. 2 ता 5, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 19/1 का 2.711 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि या उसके किसी भाग को अन्य को

लगातार.....3

Scanned by CamScanner

रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने, उसमे चल रही किसी सुविधा को बाधित या बन्द करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार स्वयं या हित प्रतिनिधि के माध्यम से मदाखलत बेजा करने से बाज व मननू रहे व मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 13 बी.एल.एम. का प.नं. 212/425 का किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड तेजा सिंह वल्द फकीरा सिंह जाति मेहरा निवासी 13 बी.एल.एम.(बी) के नाम से थी तथा तेजा सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल तेजा सिंह के जायज वारिसान के नाम दर्ज हुई थी। तेजा सिंह के कुल 7 वारिस गुरनाम कौर बेवा तेजा सिंह, तरसेम सिंह, हरबंश सिंह, पूर्ण सिंह, श्रवण सिंह पुत्रान तेजा सिंह तथा सलविन्द्र कौर व प्रकाश कौर पुत्रियां तेजा सिंह के बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक को उक्त 6.325 है. क./अ.क. भूमि में यसे 1/7 - 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर मिला तथा इसी तरह उक्त सभी वारिसान के नाम 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता तेजा सिंह से चक 13 बी. एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 212/425 का किला नं. 2 ता 5, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 19/1 का 2.711 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड विरास्तन मिला हो कतई गलत व झूठे तथ्यो पर दर्ज किया गया है। तेजा सिंह के वारिसों में सलविन्द्र कौर व प्रकाश कौर ने अपने पिता से चक 13 बी.एल.एम.(बी) के रकबे में से प्राप्त अपना हिस्सा अपने दो भाईयों तरसेम सिंह व श्रवण सिंह के हक में हकत्याग (दस्तबरदारी) रजिस्ट्रड दस्तावेज क उप-पंजीयक श्री विजयनगर के यहां तस्दीक करवा कर अपना हिस्सा छोड़ दिया तथा उक्त हिस्सा स्वेच्छा से अपने दोनों भाईयों श्रवण सिंह व तरसेम सिंह को दे दिया। यह दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 18/11/1996 को सलविन्द्र कौर व प्रकाश कौर ने अपने भाईयों के हक में रजिस्ट्रड करवाया था तथा इसी दस्तावेज से अपने पिता तेजा सिंह से प्राप्त भूमि चक 32 जी.बी. के प.नं. 181/425 में से अपना हिस्सा पूर्ण सिंह को जरिये दस्तबरदारी दिया था। तत्पश्चात् तेजा सिंह के वारिसों में से हरबंश सिंह व पूर्ण सिंह ने उक्त मुरब्बा नं. 212/425 का रकबा 6.325 है. में से प्रत्येक ने अपना 1/7 हिस्सा अपने सगे भाईयों तरसेम सिंह व श्रवण सिंह के हक में दिनांक 19/08/1997 को जरिये दस्तबरदारी अपना हक त्याग दिया था तथा श्रवण सिंह व तरसेम सिंह को दे दिया। इस तरह तेजा सिंह द्वारा धारित भूमि चक 13 बी.एल. एम.(बी) के प.नं. 212/425 के रकबा 6.325 है. क./अ.क. में से तरसेम सिंह का स्वयं का 1/7 हिस्सा व अपने भाईयों व बहनों से प्राप्त 1/7 व 1/7 कुल 3/7 हिस्सा यानि 2.711 है. क./अ.क. भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 तरसेम सिंह को अपने पिता तेजा सिंह से जायज वारिस होने के नाते चक 13 बी.एल.एम.(बी) के प.नं. 212/425 के रकबा 6.325 है. में से केवल अपना 1/7 हिस्सा यानि 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई है जबकि 2/7 हिस्सा भूमि उसे तेजा सिंह के वारिसों में से बहन एवं भाई द्वारा प्राप्त हुई है जो कि पैतृक भूमि की श्रेणी में नहीं आती है बहन एवं भाई से प्राप्त भूमि तरसेम सिंह की स्वःअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है जिसमें से प्रार्थी अप्रार्थी तरसेम सिंह के जीवन काल में उसकी 2/7 हिस्सा स्वःअर्जित होने

लगातार.....4

Scanned by CamScanner

के कारण कुल 3/7 हिस्सा 2.711 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड में से 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 बुजुर्ग व्यक्ति है तथा जीवन यापन के लिए उक्त भूमि ही उसका साधन है। प्रार्थी ने कभी भी अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं की है तथा ना ही भरण पोषण के लिए कोई राशि दी है व सुख-दुख में भी काम नहीं आता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से काफी अर्सा से अपने परिवार सहित अलग रह रहा है। प्रार्थी के द्वारा कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ चक 13 बी.एल.एम.(बी) की भूमि को काश्त नहीं किया है तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारित भूमि में प्रार्थी का कोई कमरा बनाया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। आदि का प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया, बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 212/425 का किला नं. 2 ता 5, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 19/1 का 2.711 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता की भूमि मु.नं. 17 प.नं. 212/425 के 6.325 है. में से 1/7 हिस्सा विरास्तन एवं 3/7 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी अपने भाई व बहन से प्राप्त हुई है। उक्त विवादित भूमि में प्रथम दृष्टया प्रार्थी का हक व हिस्सा बनना पाया जाता है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बेचान कर देते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 13 बी.एल.एम.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 17 प.नं. 212/425 का किला नं. 2 ता 5, 6/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 19/1 का 2.711 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/19

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner